भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. 184

जिसका उत्तर 02.02.2023 को दिया जाना है

एनएच परियोजनाओं का उन्नयन

184. श्री राजेन्द्र धेड्या गावित:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विगत पांच वर्षों के दौरान उन्नयन हेतु शुरु की गई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) इन्हें पूरा करने मे कितना समय लगने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार का विचार नई परियोजनाओं को शुरु करने के बजाय चालू परियोजनओं को पूरा करने पर अधिक जोर देने का है क्योंकि कई महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्गों के चल रहे उन्नयन कार्य की प्रगति बहुत धीमी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) यह मंत्रालय मुख्य रूप से राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) के विकास और रखरखाव के लिए उत्तरदायी है। पिछले पांच वर्षों के दौरान सौंपी गई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

(ख) परियोजनाओं को पूरा करने की समयावधि आम तौर पर 2-3 साल रखी जाती है।

(ग) और (घ) : मंत्रालय चल रही परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और नई परियोजनाओं को शुरू करने, दोनों पर जोर दे रहा है। मंत्रालय निर्माण प्रगति की बारीकी से निगरानी कर रहा है और परियोजनाओं में मुद्दों/बाधाओं को हल करने और राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्माण की गति को तेज करने के लिए परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों, राज्य सरकारों, ठेकेदारों/विकासकर्ताओं के साथ सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। विभिन्न स्तरों पर समय-समय पर समीक्षा बैठकें की जा रही हैं और लंबित कार्यों को शीघ्र पूरा करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं।

अनुबंध

एनएच परियोजनाओं के उन्नयन के संबंध में श्री राजेन्द्र धेड्या गावित द्वारा दिनांक 02.02.2023 को पूछे गए लोक सभा लिखित प्रश्न संख्या 184 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

पिछले पांच वर्षों के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार सौंपी गई लंबाई का विवरण

क्र.सं.	राज्य/सं.रा.क्षेत्र	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (दिसंबर-22 तक)
1	अण्डमान और निकोबार	155.30	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	आंध्र प्रदेश	960.68	131.05	259.57	409.29	1061.35	813.79
3	अरुणाचल प्रदेश	21.20	21.50	163.02	373.78	14.10	22.25
4	असम	500.50	127.85	212.01	351.50	223.46	169.70
5	बिहार	419.33	150.50	267.71	824.33	707.36	397.20
6	छत्तीसगढ	294.38	64.40	42.86	378.20	326.93	129.39
7	दादर नगर हवेली और दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	9.91	0.00
8	दिल्ली	66.53	85.50	8.40	9.00	60.86	0.00
9	गोवा	57.94	0.00	102.50	0.00	36.63	0.84
10	गुजरात	551.87	348.90	112.50	609.56	517.86	501.90
11	हरियाणा	352.60	422.81	225.43	275.95	91.09	246.37
12	हिमाचल प्रदेश	197.91	11.00	76.66	255.35	235.58	105.64
13	जम्मू और कश्मीर	332.22	190.35	91.59	247.88	287.17	38.10
14	झारखंड	380.35	238.00	202.00	384.39	285.20	242.11
15	कर्नाटक	911.61	445.00	54.52	571.22	763.46	477.56
16	केरल	371.00	42.70	226.40	342.67	338.27	164.47
17	मध्य प्रदेश	1177.62	286.00	711.40	608.31	805.20	245.46
18	महाराष्ट्र	3767.97	449.40	2217.61	779.71	1324.49	528.54
19	मणिपुर	183.51	177.00	146.36	398.67	350.68	16.22
20	मेघालय	50.00	30.00	0.00	152.71	126.01	34.90
21	मिजोरम	22.64	335.76	219.00	194.26	189.00	0.00
22	नागालैंड	348.34	0.00	180.75	328.57	153.52	44.88
23	ओडिशा	970.25	7.00	41.17	605.59	347.95	31.42
24	पुदुचेरी	0.00	0.00	2.50	0.00	11.24	0.00
25	पंजाब	279.31	123.21	208.19	264.50	1169.25	736.80
26	राजस्थान	1640.36	208.00	878.45	385.20	516.09	759.67
27	सिक्किम	83.05	38.42	1.75	198.23	23.32	26.51
28	तमिलनाडु	870.94	567.68	461.63	427.40	514.51	304.56
29	तेलंगाना	564.60	254.56	96.47	139.60	409.60	565.40
30	त्रिपुरा	31.97	0.00	78.95	280.60	27.86	0.00
31	लद्दाख	0.00	0.00	0.00	230.02	0.00	0.00
32	उत्तर प्रदेश	893.22	355.26	995.46	387.69	1310.57	351.10
33	उत्तराखंड	373.38	196.44	279.35	330.79	351.88	150.09
34	पश्चिम बंगाल	224.60	102.00	383.72	219.51	140.43	18.80
	कुल	17055	5493	8948	10964	12731	7124

*****